संख्या-216/2025/653/41-1-2025-CN-1907004-2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवासाव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर में स्थित प्राचीन शोमनाथ मन्दिर हेतु साईनज की स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 10377/6-1-1(05)/2024-25, दिनांक 04 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भनग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर में स्थित प्राचीन सोमनाथ मन्दिर हेतु साईनिज की स्थापना कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा गठित आगणन रू0 51.16 लाख की प्रेषित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-80-104-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लिए को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित धनराशि रू० 51.16 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं विक्षीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 35.00 लाख (रूप पैतीस लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/ प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का जापतिआप यक अनुदेशसंसा 2/224/बी 1 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्ती एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपम निम्यनुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यप किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उका कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमातर्गत ही कराया जायेगा कार्यक अनुमोदित लागत के अतिरिका कोई अन्य धनराशि चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्व होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वासाविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुगन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा...

(14) भवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवज्ञा के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुका की जाप तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्ख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/तिवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पापी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवना एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्तित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024-सी0एन0-1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला बाप रू0 35.00 लाख (रू पैतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आप व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष 5452801040800 मुखामंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मट-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, कानपुर ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपय क्रमांक 4, 5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. उप निदेशक, पर्यटन, कानपुर मण्डल।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in